करें और औषध पर प्रतिबन्ध लगाते हुए आवश्यक कानून बनायें । उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के राज्य के संबंध में यह प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

**गन्ने के मूल्य निर्धारण से किसानों में असंतोष**

77 **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित हो जाने से आम किसानों में असंतोष व्याप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो असंतोष के कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

**कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)**: (क) और (ख). गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अधीन न्यूनतम अधिसूचित मूल्य केवल एक कम से कम मूल्य है और उत्पादक, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 (क) के अधीन खुली बिक्री की चीनी की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राशि के 50 प्रतिशत अंश के हकदार हैं । तथापि, बहुत से राज्यों से उत्पादक को राज्य द्वारा बताया गया मूल्य मिलता है और यह मूल्य न्यूनतम अधिसूचित मूल्य की अपेक्षा काफी अधिक है । सभा पटल पर रखे गए विवरण से 1976–77 मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादकों द्वारा प्राप्त गन्ने के वास्तविक मूल्य की तुलना में न्यूनतम अधिसूचित मूल्य के रैंज का पता लगेगा [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी 1017/77] यह भी निर्णय किया गया है कि राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाए कि उत्पादकों की 1977–78 मौसम के दौरान वही मूल्य मिले । जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्रफल और उत्पादन में वृद्धि होने से प्रकट होता है, ये मूल्य लाभकारी हैं । क्योंकि किसान अधिक से अधिक गन्ना पैदा कर रहे हैं इसलिए ऐसा मानने का कोई कारण नहीं हैं कि उनमें असंतोष व्याप्त है ।

**दिल्ली की बृहत योजना (मास्टर प्लान) की अवहेलना**

78. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में दिल्ली के लिए बनाई गई बृहत योजना की अवहेलना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अवहेलना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या है ; और

(ग) उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)**: (क) जी, हां ।

(ख) से (ग). निर्मा और आवास मंत्रालय के नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन में अपर मुख्य योजनाकार को बृहत योजना के उल्लघंन के बारे में एक प्रारंभिक जांच करने और 15 दिसम्बर, 1977 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हैं ।